बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई-निविदा

परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रथम ई निविदा

क्रमांकः 213 /भण्डार/2022. भोपाल, दिनांकः 20.10.2022

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुली प्रथम ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, शर्ते, विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर विजिट करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 5,000=00 (रू. पाँच हजार मात्र) तथा निविदा प्रतिभूति राशि रूपये 4,00,000-00 (रू. चार लाख मात्र) हैं। इसे ऑन लाईन जमा किया जाना है।

निविदा का कुल अनुमानित मूल्य रूपये: 2,00,00,000-00 (रू. दो करोड़ मात्र) है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने संबंधी विवरण निम्नानुसार हैः-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	20-10-2022	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Document Download / Sale Start Date	20-10-2022	
03	Prebid Meeting Date	26-10-2022	
04	Bid Submission Start Date	20.10.2022	
05	Document Download/Sale End date	14-11-2022	
06	Bid Submission End Date	14-11-2022	
07	Bid Opening Date	15-11-2022	

निविदा संबंधी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

कुलसचिव

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग — 1
निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1.1 सभी निविदाकर्ता फर्मों/ऐजेंसियों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रपत्र भरने / प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, शर्तें एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानीपूर्वक पढ़ ले एवं विश्वविद्यालय परिसर के सम्पूर्ण कार्यस्थल का भ्रमण कर कार्य के संबंध में समस्त जानकारी स्पष्ट प्राप्त कर ले। निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण एवं शंका समाधान के लिए कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1.2 <u>कार्य का परिचय</u> :- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद मार्ग (एन.एच.-12) पर स्थित है। परिसर का क्षेत्रफल लगभग 350 एकड़ हैं। इस परिसर में प्रशासनिक भवन, विभिन्न शैक्षणिक भवन, छात्रावास, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास गृह, ज्ञान विज्ञान भवन, खेल परिसर, केन्द्रीय पुस्तकालय एवं अन्य भवन आदि है। विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु कम से 03 सुपरवाईजर, 90 सुरक्षा कर्मियों (तीन पारियों हेतु कुल संभावित संख्या) की सेवाओं के लिए आन लाईन ई-निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। भूतपूर्व सैनिकों तथा सुरक्षाकर्मियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है। भूतपूर्व सैनिकों की संख्या न्यूनतम 20 होगी।

1.3 निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। निविदाएं आन लाईन ही स्वीकार की जावेगी। निविदाएं आफ लाईन/हार्ड कापी में स्वीकार नहीं की जावेगी।

1.4 परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई-निविदा को वेब-साईट https://mptenders.gov.in पर आन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना हैं। निविदा में अथवा निविदा खोलने की तिथि में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी। निविदा का प्रतिवर्ष अनुमानित मूल्य रू. 2,00,00,000=00(रू. दो करोड़ मात्र) हैं।

1.5 निविदा आन-लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार हैः-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	20-10-2022	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Document Download / Sale Start Date	20-10-2022	
03	Prebid Meeting Date	26-10-2022	
04	Bid Submission Start Date	20-10-2022	
05	Document Download/Sale End date	14-11-2022	
06	Bid Submission End Date	14-11-2022	
07	Bid Opening Date	15-11-2022	

1.6 यदि निविदा खुलने की तिथि पर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकी तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर खोली जाएगीं।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

निविदा की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

1.7 **चरण-1**: निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 5,000=00 (रूपये पाँच हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा निधि रूपये 4,00,000=00 (रूपये चार लाख मात्र) हैं। इन्हे आन-लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना हैं। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना हैं। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षानिधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को चरण-2 (तकनीकी निविदा) के लिए योग्य माना जायेगा।

1.8 **चरण-2**: उपरोक्त चरण-1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा के भाग-2 में दर्शित प्रपत्र / दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में योग्य पाये जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

1.9 **चरण-3** : (तत्पश्चात उपरोक्त चरण 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।) वित्तीय निविदा को भी आन-लाईन ही प्रस्तुत किया जाना हैं।

1.10 चरण-4: प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन (Quality and cost based selection) के आधार पर किया जावेगा। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली फर्म को चयनित किया जावेगा। 70 प्रतिशत अंक तकनीकी मूल्यांकन के तथा 30 प्रतिशत अंक वित्तीय निविदा हेतु मूल्यांकित किए जावेगें। यदि किसी फर्म के पास निविदा में मांगे गए दस्तावेज कम पाये जाते है तो उस फर्म की निविदा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।

कुलसचिव (अ.प्रभार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग - 2
निविदा की अर्हकारी शर्तें

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा पात्रता की शर्तें निम्नांकित है इन जानकारियों को निविदा में दिए **प्रपत्र-1** अनुसार शपथ पत्र नोटराईज्ड कराते हुए प्रस्तुत किया जाना है। इसके अभाव में निविदा आवेदन निरस्त कर दी जावेगी। निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित करते हुए **प्रपत्र-क** में सभी प्रविष्टिया करते हुए संलग्न करना आवश्यक है :-

2.1 वर्तमान में सुरक्षा एजेन्सी के पास 200 सुरक्षाकर्मी होना आवश्यक है। सत्यापित सूची मय ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा आधार क्रमांक संलग्न करें। एजेन्सी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की संख्या का विवरण **प्रपत्र-2** में शपथ पत्र में देवे।

2.2 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र-3** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र शपथ पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता की जानकारी एवं गुमाश्ता पंजीयन अनिवार्य है। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.4 सुरक्षा ऐजेन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति सुरक्षा ऐजेन्सी के प्रारंभ से अभी तक के संलग्न करें।)

2.5 कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.6 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.7 जी.एस.टी. नम्बर की प्रति संलग्न करें)

2.8 आयकर नम्बर (PAN CARD) की प्रति संलग्न करें।

2.9 फर्म का इनकम टैक्स के तीन असेसमेन्ट वर्ष (2019-20, 2020-21, 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की छाया प्रति संलग्न करें।

2.10 कंपनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न करें।

2.11 कंपनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी. कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न करें।

2.12 कंपनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) जमा के विगत 06 माह के चालान की छाया प्रति संलग्न करें।

2.13 कंपनी में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की छाया प्रति संलग्न करें।

2.14 सुरक्षा ऐजेन्सी को सुरक्षा व्यवस्था में न्यूनतम पिछले 05 वर्षो का अनुभव होना चाहिए। सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। इससे कम अनुभव होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी। **प्रपत्र-4** अनुसार ।

2.15 विगत 3 वित्तीय वर्षो (2019-20, 2020-21, 2021-22) में प्रत्येक वर्ष में रू. 6-00 करोड का टर्न ओवर सुरक्षा व्यवसाय से चार्टेड एकाउन्टेन्ट का संलग्न **प्रपत्र-5** में तथा चार्टेड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित कराकर संलग्न करे।

2.16 विगत 5 वित्तीय वर्षो (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से किन्ही 02 वित्तीय वर्ष में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आदि में कम से कम 200 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने का अनुभव एवं कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य है।

2.17 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

2.18 सुरक्षा ऐजेन्सी अथवा संचालन के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। शपथ पत्र संलग्न करें।

2.19 सुरक्षा ऐजेन्सी किसी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।

2.20 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र-6** के अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.21 पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।

2.22 निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित विभागों से सत्यापन कराया जा सकेगा दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने पर निविदा के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है।

2.23 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र तथा निविदा की शर्तो के अनुसार ही स्वीकार की जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 5,000=00 (रू. पांच हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं हैं।

2.24 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त सुरक्षा कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन 3 माह अवधि में करा कर रिपोर्ट विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

वित्तीय निविदा भरने के निर्देशः-

2.25 सुरक्षाकर्मियों को श्रमायुक्त म.प्र. द्वारा जारी मजदूरी की न्यूनतम दर पर भुगतान किया जावेगा।

2.26 निविदाकर्ता को वित्तीय निविदा **प्रपत्र-7** में सिर्फ सर्विस चार्ज की दर प्रतिशत में अंकित करना होगा।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

2.27 शासन द्वारा समयानुसार लागू किये गए अनिवार्य शुल्क / देनदारी का नियमानुसार भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

2.28 निविदाकर्ता द्वारा शून्य सेवा शुल्क उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी। सेवा शुल्क की दर न्यूनतम 5% या उससे अधिक दशमलव के दो अंको तक होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर का सर्विस चार्ज की दर एक ही होना चाहिए।

2.29 निविदाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा शुल्क में समस्त प्रशासकीय/प्रबंधकीय एवं सामग्री संबंधी व्यय भी सम्मिलित रहेंगे। इस बाबत पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

2.30 वित्तीय निविदा प्रपत्र-7 में कर की दर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। निविदा में सफल फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर फर्म को नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जावेगा तथा टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।

2.31 सुरक्षा फर्म / संस्था / कम्पनी / ऐजेन्सी द्वारा समय-समय पर कार्यालय कलेक्टर जिला-भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु जारी किए गए आदेशों में उल्लेखित दरों के अनुसार ही सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) एवं सुपरवाईजरों (कुशल श्रेणी) अनुसार भुगतान किया जावेगा।

2.32 सुरक्षा फर्म / संस्था / कम्पनी / ऐजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र में मात्र उनके द्वारा मात्र सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकित करना होगा। सर्विस चार्ज कर रहित / जी.एस.टी. हटाकर होना चाहिए।

2.33 विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार तत्समय लागू कलेक्टर दर ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. वीकली रेस्ट का भुगतान एवं अन्य वैधानिक परिलब्धियां जो कि नियमानुसार देय हैं। उसका भुगतान किया जावेगा।

2.34 कलेक्टर द्वारा वेतन के जारी किए आदेश पत्र की प्रति शासन की वेबसाईट पर दी गई है। चूंकि उपरोक्त कलेक्टर दरें समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती है अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि मे किसी भी समय देय दरें शासन द्वारा मान्य दरों से कम नहीं होगी इस हेतु अनुबन्धकर्ता द्वारा बढ़ी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय तद्नुसार भुगतान किया जावेगा।

2.35 सुरक्षा निधि राशि एवं बैंक गारंटी पर किसी भी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रपत्र–क

फर्म को निम्नांकित दस्तावेज स्केन कर ई–निविदा के साथ अपलोड करना हैं। दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित कर निविदा के साथ अपलोड करना है।

सं.क्र.	दस्तावेज का नाम जिसे निविदा के साथ अपलोड करना है तथा प्रत्येक दस्तावेज पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील लगी होना चाहिए	विवरण	पृष्ठ क्रं.	दस्तावेज संलग्न है। हॉं / नहीं
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 5,000=00 (रूपये पॉंच हजार मात्र) आन लाईन जमा की गई राशि ।	Bank UTR No. Dt.		
2	सुरक्षा निधि रूपये 4,00,000=00 (रूपये चार लाख मात्र) आन लाईन जमा की गई राशि की रसीद ।	Bank UTR No. Dt.		
3	वर्तमान में सुरक्षा एजेन्सी के पास 200 सुरक्षाकर्मी होना आवश्यक है। सत्यापित सूची मय ई.पी. एफ., ई.एस.आई. तथा आधार क्रमांक संलग्न करें। एजेन्सी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की संख्या का विवरण **प्रपत्र–2** में शपथ पत्र में देवे।			
4	निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–1** अनुसार शपथ पत्र में चाही गयी जानकारी नोटरी से सत्यापित प्रस्तुत करना होगा।			
6	निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–3** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ।			
7	श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता की जानकारी एवं गुमाश्ता पंजीयन अनिवार्य है। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	पंजीयन क्रं. दिनांकः		
8	सुरक्षा ऐजेन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण होना चाहिए। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	पंजीयन क्रमांक दिनांक वैधता दिनांकः		
9	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज	पंजीयन क्रंमाक		

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

	की प्रति संलग्न करें)	दिनांकः		
10	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	पंजीयन क्रमांक दिनांकः		
11	सर्विस टैक्स खाता क्रमांक(जी.एस.टी. नम्बर) (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	जी.एस.टी. नम्बर		
12	आयकर नम्बर (PAN CARD) की प्रति	PAN NUMBER		
13	फर्म का इनकम टैक्स असेसमेन्ट वर्ष (2019-20, 2020-21, 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की छाया प्रति संलग्न करें।	असेसमेन्ट वर्ष 2019-20 में जमा आयकर राशि रू. --------------------		
		असेसमेन्ट वर्ष 2020-21 में जमा आयकर राशि रू. --------------------		
		असेसमेन्ट वर्ष 2021-22 में जमा आयकर राशि रू. --------------------		
14	कंपनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न करें।			
15	कंपनी / फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी. कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न करें।			
16	कंपनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी. एस.टी.) जमा के विगत 03 वर्ष के चालान की छाया प्रति संलग्न करें।			
17	कंपनी में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की छाया प्रति संलग्न करें।			
18	सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में पिछले 05 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण			

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

	स्वरूप संलग्न करें। इससे कम अनुभव होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी। **प्रपत्र-4 अनुसार**			
19	विगत 3 वित्तीय वर्षो (2019-20, 2020-21, 2021-22) में प्रत्येक वर्ष में रूपये 6-00 करोड का सुरक्षा व्यवसाय से टर्न ओवर चार्टेड एकाउन्टेन्ट का संलग्न **प्रपत्र-5** में तथा चार्टेड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित संलग्न करें।	वित्तीय वर्ष (2019-20) के टर्न ओवर की राशि रू. ------------------		
		वित्तीय वर्ष (2020-21) के टर्न ओवर की राशि रू. ------------------		
		वित्तीय वर्ष (2021-22) के टर्न ओवर की राशि रू. ------------------		
20	विगत 5 वित्तीय वर्षो (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से किन्ही 02 वित्तीय वर्ष में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आदि में कम से कम 200 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने का अनुभव एवं कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य हैं।			
21	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।			
22	सुरक्षा ऐजेन्सी अथवा संचालक के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। शपथ पत्र संलग्न करें।			
23	सुरक्षा ऐजेन्सी किसी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम,बैंक से दिवालिया			

अनुभाग अधिकारी (सुरक्षा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

	घोषित नहीं होना चाहिए।			
24	निविदाकर्ता फर्म **प्रपत्र-6** अनुसार श्रम कानून/गुमाश्ता के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।			
25	पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।			

भाग-3

निविदा की मूल्यांकन पद्धति

(Quality and Cost based selection

निविदा में भाग लेने वाली फर्मो को तकनीकी मूल्यांक में प्राप्त अंको का 60 प्रतिशत अंक का वेटेज तथा 40 प्रतिशत अंक वित्तीय दरों पर निर्धारित किया जावेगा। तकनीकी तथा वित्तीय दरों के योग के अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली फर्म / संस्था / ऐजेन्सी का चयन किया जावेगा। यदि किसी ऐजेन्सी के पास निविदा में मांगे गए दस्तावेज कम पाये जाते है तो वह ऐजेन्सी की निविदा स्वतः ही अमान्य हो जावेगी।

सं0क्र0	निविदा की शर्ते	अधिकतम अंक
01	सुरक्षा ऐजेन्सी का पसारा एक्ट तहत पंजीयन वर्ष पंजीयन प्रमाण पत्र की समस्त प्रतियाँ संलग्न करें।	
	05 वर्ष होने पर	05
	05 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक	10
	10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक	15
	15 वर्ष से अधिक होने पर	20
02	ऐजेन्सी में कार्यरत (सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाईजर की संख्या	
	200 कर्मी होने पर	10
	201 से प्रत्येक 20 सुरक्षाकर्मी पर 2 अंक	
	501 से अधिक होने पर	35
03	वित्तीय वर्ष (2019-20, 2020-21, 2021-22) में औसत टर्न ओवरसुरक्षा ऐजेन्सी व्यवसाय में	
	रू. 6-00 करोड़ होने पर	05
	रू. 6-00 करोड़ से अधिक 8-00 करोड़ तक	10
	रू .8-00 करोड़ से अधिक तथा रू. 10-00 करोड़ तक	15
	रू .10-00 करोड़ से अधिक होने पर.	20

वित्तीय निविदा के अंक निम्नानुसार दिए जावेगें।

सं0क्र.	फर्मो से प्राप्त वित्तीय दरें	निर्धारित अंक
01	न्यूनतम दर L1	30
02	न्यूनतम दर L2	20
03	न्यूनतम दर L3, L4......	10

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग - 3
अन्य कार्य विवरण एवं सुरक्षा ऐजेन्सी के दायित्व

3.1 निविदा में सफल सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय के साथ 07 दिवस के अन्दर एक अनुबन्ध संपादित करना होगा।

3.2 यदि निविदा में सफल सुरक्षा ऐजेन्सी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समयावधि में अनुबन्ध संपादित करने में असफल होती है तो विश्वविद्यालय फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि राशि को जब्त करते हुए फर्म को ब्लेक लिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.3 निविदा में सफल फर्म से अनुबन्ध संपादित करने के 10 दिवस के अन्दर सुरक्षा ऐजेन्सी को कुल निविदा की 5 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

3.4 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा बैंक गारंटी विश्वविद्यालय में जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सुरक्षा निधि राशि जो निविदा के साथ जमा की गई थी। वह वापस कर दी जावेगी।

3.4 सुरक्षा ऐजेन्सी को सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से आवश्यकतानुसार डंडा मैन/गन मैन सुरक्षाकर्मी मय पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। गन मैन को स्वयं के स्तर से वैध आर्म्स लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.5 सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात करना होगा। नियत स्थानों पर 24 घण्टे एवं अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार 8 घण्टे सुरक्षाकर्मी तैनात करने होगें।

3.6 निविदाकार सुरक्षा ऐजेन्सी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय परिसर में अवांछित व्यक्तियों एवं अनाधिकृत पशुओं का प्रवेश न होने पाये एवं समय-समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

3.7 सुरक्षा ऐजेन्सी का यह दायित्व होगा कि विश्वविद्यालय परिसर का दुरूपयोग न हो अनाधिकृत पार्किंग न की जावे तथा बिना अनुमति के परिसर में किसी प्रकार का ठेला या दुकान या अन्य व्यापार न प्रारंभ किये जावे। अनाधिकृत व्यक्ति आदि को भी रोकना होगा।

3.8 सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी 8-8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी एवं किसी सुरक्षाकर्मी की एक माह में 30 से अधिक ड्यूटी नहीं होगी।

3.9 सुरक्षाकर्मियों की निवास/वर्दी की व्यवस्था सुरक्षा ऐजेन्सी को स्वयं करनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से कोई निवास/वर्दी की व्यवस्था नहीं की जावेगी।

3.10 सुरक्षा ऐजेन्सी किसी सब ऐजेन्सी से कार्य नहीं करायगी।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

3.11 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक हैं। आपात स्थिति में विश्वविद्यालय के पास कभी भी एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3.12 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

3.13 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.14 न्यायालय विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.15 सुरक्षा ऐजेन्सी को भुगतान प्रतिमाह बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर तैयार देयक के आधार पर कार्य का सत्यापन करने के उपरान्त किया जायेगा। बायोमेट्रिक मशीन की स्थापना एवं संचालन का व्यय सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा।

3.16 विश्वविद्यालय द्वारा ऐजेन्सी को तत्समय लागू दरों के अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौति की जावेगी।

3.17 विश्वविद्यालय द्वारा चयनित सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय में लगाये गए सुरक्षाकर्मियों तथा सुपरवाईजर को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक वेतन भुगतान करना आवश्यक होगा।

3.18 सुरक्षाकर्मियों को किए गए वेतन भुगतान की बैंक खाते में ट्रान्सफर की सूची जिसमें सुरक्षाकर्मी का नाम, बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड एवं वेतन की राशि दर्शित हो विश्वविद्यालय में प्रस्तुत देयक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.19 सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान के पश्चात प्रत्यंक माह की 06 तारीख को विश्वविद्यालय में भुगतान रिआबर्समेन्ट हेतु बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ जी.एस.टी., ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. जमा की रसीद एवं सूची प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.20 सुरक्षाकर्मी कार्य की अवधि में किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी।

3.21 कोई भी सुरक्षाकर्मी अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर अपनी व्यक्तिगत्/सामूहिक समस्या को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगें। यदि सुरक्षाकर्मियों को कोई समस्या है तो वह ऐजेन्सी को ही बताये तद्नुसार विश्वविद्यालय से संबंधित होने पर ही विश्वविद्यालय को अवगत कराएगी। उनकी सेवा से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर वह विश्वविद्यालय प्रशासन से नही मिलेंगे इसके लिए वह ऐजेन्सी से ही संपर्क करेगें।

3.22 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन बायोमेट्रिक पद्यति से भी किया जा सकता है। इस स्थिति में मासिक भुगतान से उपस्थिति के अनुपात में कटोत्रा किया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति का अनुबन्ध की अवधि में नुकसान होने पर ऐसे नुकसान के लिए भरपाई ऐजेन्सी द्वारा जमा धरोहर / सुरक्षा निधि को राज-सात कर तथा अन्य देयकों के भुगतान से कटौत्री की जावेगी। प्रबंधकीय/प्रशासकीय व्यय सुरक्षा ऐजेन्सी अपने स्वंय के व्यय पर करेगी।

3.23 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने की शक्ति विश्वविद्यालय को होगी। निविदाकार तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।

3.24 निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न कर्मियों की योग्यता एवं सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता का समय-समय पर विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर धरोहर राशि से शास्ति काटकर निविदा को निरस्त किया जा सकता हैं।

3.25 सुरक्षाकर्मियों को परिसर में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, तम्बाकू, शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है।

3.26 निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा संबंधित सुरक्षाकर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ऐजेन्सी पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जा सकेगी।

सं.क्रं.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
01	सुरक्षाकर्मी यूनिफार्म में न होने पर	रू. 200-00
02	सुरक्षाकर्मी के पास सीटी, डण्डा, टार्च न होने पर	रू. 200-00
03	सुरक्षाकर्मी अनुपस्थित होने पर	रू. 500-00
04	सुरक्षाकर्मी के पास आई.कार्ड न होने पर	रू. 200-00
05	सुपरवाईजर के पास मोबाईल फोन न होने पर	रू. 200-00
06	अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर तथा पान, गुटका, तम्बाकू सेवन करने पर	रू. 1000-00 से रू. 10,000-00 तक
07	विश्वविद्यालय परिसर की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति	रू. 1000-00 से लेकर नुकसान हुई सम्पत्ति की वास्तविक राशि तक
08	संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों का न मानने पर	रू. 10,000-00 या निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि राजसात की जायेगी।
09	परिसर में चोरी होने पर	क्षति की वास्तविक राशि की क्षतिपूर्ति

3.27 निविदा मान्य होने की स्थिति में निविदाकर्ता को दस कार्य दिवसों के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ अनुबंध करना होगा। यह अनुबन्ध, कार्य आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगा। सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था कार्यावधि के दौरान एक-एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसे अधिकतम 5 वर्षो तक ही बढ़ाया जा सकेगा।

3.28 विश्वविद्यालय द्वारा चाही गयी अमानत राशि एवं अन्य आवश्यक विवरण एवं जानकारियों के अभाव में प्राप्त निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।

3.29 निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

सहायक कुलसचिव (भंडार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

3.30 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3.31 यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

3.32 ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मी की आयु 18 से 50 वर्ष (कार्यावधि) के मध्य होना चाहिए । सैन्य सेवा / अर्द्ध सैनिक सेवा से सेवा निवृत्त होने वाले सुरक्षाकर्मी की आयु अधिकतम 55 वर्ष मान्य होगी। सुरक्षाकर्मियों का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र निविदा मान्य होने पर ऐजेन्सी को संलग्न करना अनिवार्य हैं। तत्पश्चात सुरक्षाकर्मियों का एक वर्ष में ऐजेन्सी के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना होगा।

3.33 निविदा मान्य होने पर सुरक्षा कर्मी की जानकारी जैसे - पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री या विशेष ट्रेनिंग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.34 प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन भाग-3 में दर्शित विवरण अनुसार किया जावेगा। यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं को समान अंक प्राप्त होते है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी एक संस्था का चयन किया जावेगा। यह निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी फर्म का दावा या आपत्ति अमान्य होगी।

3.35 सुरक्षाकर्मियों द्वारा पहने जाने वाली यूनिफार्म एवं सुरक्षाकार्य में उपयोग में हाने वाली सामग्री विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित होगी एवं इसका प्रबंध सुरक्षा एजेन्सी को स्वयं के व्यय पर करना होगा।

3.36 सुरक्षाकर्मियों को भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना सुरक्षा ऐजेन्सी का दायित्व होगा। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की यह जिम्मेदारी नही होगी।

3.37 सुरक्षाकर्मियों के इन्सुरेन्स की जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय सुरक्षाकर्मियों के साथ कोई हुई दुर्घटना अथवा नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा।

3.38 सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय परिसर में आने जाने वाले वाहनों, व्यक्तियों, कर्मचारियों, वस्तुओं एवं सम्पत्ति के संबंध में सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में संधारित करनी होगी। जो प्रतिमाह कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौपी जानी चाहिए।

3.39 सभी सुरक्षाकर्मियों का बॉयोडाटा नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफएवं आधार कार्ड के साथ सुरक्षा ऐजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौंपेगी।

3.40 कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के मांगे जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी अपने रिकार्ड जांच एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगी।

3.41 सुरक्षा ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षाकर्मियों का प्रोविडेन्ट फण्ड एवं अन्य सरचार्ज नियमानुसार जमा करेंगे एवं इनकी सत्यापित प्रति आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेंगे। इसके अभाव में भुगतान की कार्यवाही नही की जावेगी।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

3.42 सुरक्षा एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।

3.43 दो या अधिक निविदाकारों के अंक समान होने पर वित्तीय वर्ष (2018-19, 2019-20, 2020-21) में जिस सुरक्षा ऐजेन्सी का औसत टर्न ओवर की राशि अधिक होगी उसका चयन किया जावेगा। इस पर किसी भी ऐजेन्सी का दावा या आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

प्रपत्र-1

शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 1,000-00 के गैर न्यायिक मुद्रांक / नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड प्रस्तुत करें)

मैं----------------------पुत्र/पुत्री------------------------------------उम्र-------------
पता--

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं कि फर्म से संबंधित निम्नांकित जानकारी सत्य है। मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य हैं।

यदि निविदा एवं शपथ पत्र में प्रस्तुत जानकारी असत्य पायी जाती है तो बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को निविदा निरस्त करने का अधिकार है एवं सुरक्षा ऐजेन्सी की सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी जब्त करते हुए फर्म को ब्लेकलिस्ट करने का अधिकार होगा एवं हमारी फर्म को यह मान्य होगा :-

(1) मैं निविदाकर्ता संस्था-----------------------(फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का --------------------------------------(एकल स्वामी / साझेदार /........... संचालक / मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूं तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता---हैं।

(2) निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए मेरे / मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त हैं।

(3) वर्तमान में सुरक्षा ऐजेन्सी के पास 100 सुरक्षा ऐजेन्सी है । उसकी सत्यापित सूची संलग्न प्रस्तुत है।

(4) संस्था/ ऐजेन्सी का श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक-------------- दिनांकः------------ एवं वैधता दिनांकः ---------------- है।

(5) न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की छाया प्रति संलग्न करें। (लेबर की संख्याः---------लेबर लाइसेन्स क्रमांकः--------------जारी दिनांकः एवं वैधता दिनांक------------है।)

(6) संस्था/सुरक्षा ऐजेन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन क्रमांकः-------------------दिनांकः--------------एवं वैधता दिनांकः--------------है।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

(7) कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक------------------दिनांक:----------संलग्न है।

(8) फर्म में कार्यरत न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न है। (माह एवं वर्ष का नाम:---)

(9) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक:-----------------दिनांक:----------है।

(10) फर्म/संस्था का न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी. कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न है। (माह एवं वर्ष का नाम:--)

(11) सर्विस टैक्स खाता क्रमांक (जी.एस.टी. नम्बर):-----------------------------है।

(12) फर्म / संस्था का न्यूनतम 100 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) जमा के विगत 06 माह के चालान की छाया प्रति संलग्न है। (माह एवं वर्ष का नाम:--)

(13) आयकर नम्बर (PAN CARD) :-------------------है।

(14) फर्म का इनकम टैक्स असेसमेंट वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की छाया प्रति संलग्न है।

(15) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी प्रपत्र-2 में निम्नानुसार प्रारुप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:-

प्रपत्र-2

निविदाकर्ता फर्म के पास वर्तमान में कार्यरत सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाईजर, भूतपूर्व सैनिक आदि की जानकारी निम्नानुसार प्रमाणिक है:-
निविदाकर्ता फर्म का नाम:---
पता:--

सं.क्र.	सुरक्षाकर्मी का पदनाम	संख्या	कुल वेतन
01	सुरक्षाकर्मी		
02	सुरक्षा सुपरवाईजर		
03	भूतपूर्व सैनिक		

अनुभाग अधिकारी (सुरक्षा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

04	अन्य		
	कुल योग		

सुरक्षाकर्मियों की सूची संलग्न करें । जिसमें नाम, पदनाम, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी तथा आधार नम्बर का उल्लेख हो।

(16) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी **प्रपत्र-3** में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:-

प्रपत्र-3

निविदाकर्ता फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र

सं.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	कार्यालयीन पता	
03	पसारा एक्ट के तहत फर्म का पंजीयन क्रमांक वैधता तिथि सहित	
04	दूरभाष नम्बर	
05	मोबाईल नम्बर	
06	ई-मेल आई.डी.	

घोषणा पत्र

मेरे /हमारी संस्था द्वारा निविदा में दिए गए सभी नियम / शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की शर्तो के अधीन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

स्थान :-------------------

दिनांकः-----------------

शपथगृहीता

नामः--------------------

पताः--------------------

1. गवाह का नाम एवं पताः-------------

2. गवाह का नाम एवं पताः-------------

(17) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी **प्रपत्र-4** में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:-

प्रपत्र-4

सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में विगत पांच वर्षो के अनुभव की जानकारी :-

निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पता-- .

सं.क्रं.	वित्तीय वर्ष	संस्था का नाम जहा सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह	सुरक्षाकर्मियों की संख्या	वार्षिक देयक राशि
			दिनांक से	दिनांक तक			
01	2017-18						
02	2018-19						
03	2019-20						
04	2020-21						
05	2021-22						

(18) विगत 5 वर्षों में से किन्ही 02 वित्तीय वर्ष में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आदि में कम से कम 200 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने का अनुभव एवं कार्य आदेश संलग्न हैं।

सं.क्रं.	वित्तीय वर्ष	सुरक्षा कर्मियों की संख्या	विभाग का नाम	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	निविदा में प्रस्तुत दस्तावेज का पृष्ठ क्रं.
1					
2					
3					
4					
5					

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

(19) निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं हुई।

(20) निविदाकर्ता फर्म किसी बैंक / संस्था से दिवालिया घोषित नहीं हुई है।

(21) सुरक्षा ऐजेन्सी के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है न ही किसी अपराधि मामले में किसी सक्षम न्यायालय से दोषी ठहराया गया है।

(22) पसारा एक्ट के तहत संस्था में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है तथा प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र संलग्न है।

(23)हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी प्रपत्र–5 में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:–

प्रपत्र–5

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स--
पता--
के विगत तीन वर्षो के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जांच मेरे द्वारा की गई। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान प्रकृति के कार्य अर्थात् (संस्था के कार्य) का आवर्त (टर्न ओवर) इस प्रकार है:–

क्रमांक	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंको में)
01	2019–20		
02	2020–21		
03	2021–22		

टीप:– शब्दों एवं अंकों में राशि का अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई हैं। जिसे प्रशासन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की निविदा शर्तो के अनुसार वांछित शर्त के रूप में प्रमाणित करा हूं।

स्थान:---------------
दिनांक:-------------

चार्टेड लेखाकार का नाम:-------------
फर्म का पदमुद्रा:------------------

(24) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी प्रपत्र–6 में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:–

प्रपत्र–6

घोषणा पत्र
(श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं----------------आत्मज----------------सुरक्षा कार्य के लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में निविदाकार हूं। मैं यह घोषित करता हूं कि हमारी संस्था द्वारा यदि बरतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में कार्य किया जाएगा तो हमारी संस्था द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी इसके संबंध में किसी भी

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रकार के कानून / नियम / विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः------------
दिनांकः------------

नामः----------------
पताः----------------

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रपत्र–7

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्रं	विवरण	सुरक्षा संस्था द्वारा लिए जाने वाले सर्विस चार्ज की दर अंको में एवं शब्दों में (प्रतिशत में)
1	निविदाकर्ता संस्थान का नाम	
2	सभी सुरक्षाकर्मियों के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान की दर एवं वीकली रेस्ट की गणना के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि के आधार पर फर्म द्वारा लिया जाने वाले सर्विस चार्ज की दर सभी सुपरवाईजरों के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान की दर एवं वीकली रेस्ट की गणना के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि के आधार पर फर्म द्वारा लिया जाने वाले सर्विस चार्ज की दर	

कुलसचिव / ... बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल